(5)

# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ (जिला श्रीगंगानगर)

पीठासीन अधिकारी श्री कन्हैयालाल सोनगरा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 39 / 2022

**GCMS CASE NO-2022/39**

1.प्रभजीत कौर पत्नी हर्षपिन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी चक 32 एच तहसील करणपुर जिला श्रीगंगानगर।

अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार राज तहसीलदार सूरतगढ।

रेस्पोडेंट

—::निर्णय::—

दिनांक : 07.05.2024

अपील मे सामान्य तथ्य यह है कि ये बानारागी आदेश उपतहसीलदार (राजस्व), राजियासर अन्तर्गत धारा 22 उपनिवेशन अधिनियम 1954 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 75 भूराजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस न्यायालय में पेश की गई। अपीलांट को चक 4 डीडब्ल्यूएम के प.न. 157 / 09 में कि.न. 1 ता 22 में 5.566 है0 अ.क. भूमि पर फसल रबी 2078 में नाजायज काश्त राजकीय भूमि पर अतिक्रमण घोषित किया जाकर बेदखल करने के आदेश दिये गये तथा फसल जब्त करने का नोटिस दिया व मालगुजारी का 50 गुणा पेनल्टी का नोटिस जारी किया गया ।

उपतहसीलदार राजियासर ने अपीलांट को अतिक्रमी माना जाकर मालगुजारी का 50 गुणा तावान, खडी फसल नीलाम करने व प्रश्नगत भूमि से बेदखल कर भूमि बहक सरकार प्राप्त करने की आज्ञापारित की है।

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर बहस सुनी गई वकील अपीलांट द्वारा कथन किया कि अपीलांट अपने पुराने कब्जा काश्त भूमि पर काश्त कर रहा था तो पटवारी हल्का ने उन्हे बताया कि आपके खिलाफ नाजायज काश्त की कार्यवाही होकर उसमें अपीलांट को बेदखली करने के आदेश जारी किया है इस पर दिनांक 7.3.2022 को निर्णय की नकल लेने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया दिनांक 8.3.2022 को अपीलांट को उक्त निर्णय की जानकारी हुई। आदेश की जानकारी हुई बिना किसी देरी के यह अपील पेश कर दी गई है जो फैसले की जानकारी के अंदर मियाद है। प्रार्थी अनपढ काश्तकार है काननी पेचीदगियों का ज्ञान नहीं है अतः अपील स्वीकार की जावे। राजपैरोकार द्वारा कथन किया है अपीलांट अतिक्रमी की

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (जिला—श्री गंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.06.24 13:45:49 IST
Reason: SelfAttested



Scanned with OKEN Scanner

सयत से काबिज है अतः मियाद प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। उभय पक्ष की बहस पर ानन किया जाकर प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है।

ततपश्चात गुणावगुण पर बहस सुनी गई वकील अपीलांट श्री सुरेन्द्र सुथार द्वारा अपील मीमों के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अदालत मातहत ने नैसंर्गिक न्याय व निर्धारित प्रकिया की पालना नही की है। फसलकुन्ता नीलामी, 50 गुणातावान व बेदखली तीनों आदेश एक साथ देकर गैर कानूनी आदेश पारित किया है । अपीलांट को पहले कभी बेदखल नही किया गया । ऐसे मे उन्हे पाश्चावर्ती अतिकमी मानकर भी भूल की है। तीनों दण्ड एक साथ कानूनन नही दिये जा सकते। पैरोकार राज ने दौराने बहस कथन किया कि अपीलांट प्रभजीत कौर पत्नी हर्षपिंदर सिंह द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण कर नाजायज काश्त की गई है। अपीलांट द्वारा अपने पक्ष में किसी प्रकार का कोई साक्ष्य/सबूत पेश नही किया जिससे जैर प्रकरण भूमि पर उसका हक/हकूक साबित हो सके अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जवाब संतोषप्रद नहीं होने के कारण ही जैर अपील निर्णय पारित किया गया है। प्रकरण में की गई समस्त कार्यवाही नियमानुसार है। अपीलांट अतिकमी सांबित है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाकर निर्णय दिनांक 28.01.2022 यथावत रखा जावे।

मातहत अदालत का रिकार्ड शामिल पत्रावली हो चुका है। रिकार्ड अवलोकन से स्पष्ट है कि अतिक्रमण की रिपोर्ट पटवारी से प्राप्त होने पर अपीलांट को नोटिस अन्तर्गत धारा 22 विधिवत रूप से जारी किया गया व अपीलांट को विधिवत रूप से तामील हुआ है। नोटिस में अपीलांटस को अवसर दिया गया कि वें आगामी निर्धारित तारीख पेशी 28.01.2022 से पूर्व अतिक्रमित भूमि खाली कर देवें। बाद नोटिस तामील होने के उपरांत भी अतिकमी द्वारा प्रश्नगत भूमि पर अतिक्रमण नहीं हटाया।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि धारा 22 उपनिवेशन अधिनियम 1954 संक्षिप्त विचारण प्रकिया है। उपतहसीलदार राजियासर द्वारा पारित आदेश नैंसर्गिक न्याय सिद्धांतो व स्थापित विधि के किसी प्रावधान के उल्लंघन में न होने से आदेश मे किसी प्रकार का हस्तक्षेप इस न्यायालय द्वारा किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। स्थगन प्रार्थना पत्र व अपील अपीलांट निरस्त की जाती है, उपतहसीलदार राजियासर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.01.2022 यथावत रखा जाता है। आदेश की प्रति पत्रावली में शामिल की जावें। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति सहित लौटाया जावें। पत्रावली मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा टंकण करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(कन्हैया लाल सोनगरा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (जिला–श्री गंगानगर)
सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.06.24 13:45:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner